गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). वर्ष 1965 के दौरान दिल्ली पुलिस को 14 व्यक्तियों के खिलाफ 3 शिकायतें प्राप्त हुई। ये व्यक्ति नृत्य प्रशिक्षणशालाओं के मालिक अथवा कर्मचारी थे। इन शिकायतों की जांच की गई और जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई थीं उन पर स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पणन अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(ग) 3

दिल्ली की ईदगाह की मर्यादा भंग

1378. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा जब्त की गई अंग्रेजी की पुस्तक "दिल्ली ईदगाह की मर्यादा भंग" (सैक्रिलीज आफ दिल्ली ईदगाह") का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसी प्रकार की कोई अन्य पुस्तक भी जब्त की गई है; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) :(क) "दिल्ली ईदगाह की मर्यादा भंग" नामक पुस्तिका अमीर मजलिसे अहरार इस्लाम के संस्थापक अध्यक्ष हाफिज अली बहादुर खान द्वारा जारी की गई थी। इसमें थाना सदर बाजार के इलाके में ईदगाह की जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने की बहुत कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उकसाने पर गैर-मुस्लिमों द्वारा ऐसे कब्जों का अर्थ इस पवित्र स्थान की मर्यादा का भंग है जिस पर मुसलमानों को, जो अब दूसरे दर्जे के निवासी रह गए हैं, भारी रोष है। इस पुस्तिका का उद्देश्य जनता के एक वर्ग में भय अथवा शंका था। इसलिए यह पुस्तिका और इसकी प्रत्येक प्रति अथवा अनुवाद या उनका उद्धरण सरकार द्वारा जब्त घोषित कर दिया गया है और आगे से उसका वितरण, बिक्री या प्रसारण भी 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 45 के अधीन निषिद्ध कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) हाफिज अली बहादुर खान के खिलाफ 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 41 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया।

मूर्तिचोरों का अन्तर्राज्यिक गिरोह

1379. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूर्तियां चुराने वालों का एक अन्तर्राज्यिक गिरोह हाल ही में दिल्ली में पकड़ा गया है;

(ख) उस गिरोह में कितने व्यक्ति हैं और कितनी चोरियों का पता लगा है; और

(ग) अब तक कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।